order Sheet [Contd]

ЯОФО .7.2..../16.5:PZ

Signature of te of Parties or Order or Pleaders where Order or proceeding with Signature of presiding Proceeding necessa परिवादी विद्युत विभाग द्वारा उपमहाप्रबंधक की ओर से 8-4-17 सहायक यंत्री / किनिष्ठ यंत्री कि किन भे भी सहित उनके उप0/आरोपी अनुपस्थिति। प्रकरण नेशनल / मेगा लोक अदालत में पेश हुआ है। यह परिवाद विद्युत विभाग द्वारा धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम के तहत आरोपीपक्ष के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। इस परिवाद में आरोपी पक्ष पर धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम का आरोप लगाया गया है। उक्त परिवाद मामले में विद्युत विभाग की ओर से उक्त कार्यपालन यंत्री की ओर से सहायक यंत्री / किनष्ट यंत्री ने अपने अधिवक्ता सहित एक आवेदन पेश कर निवेदन किया कि इस मामले में आरोपी पक्ष के द्वारा विद्युत विल की बकाया राशि जमा की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में लोकहित में परिवादी विद्युत विभाग यह परिवाद बढाना नहीं चाहता है, कार्यवाही समाप्त की जावे। सुनाया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। उक्त

आवेदन के आलोक में इस नेशनल / मेगा लोकअदालत में परिवादी विद्युत विभाग का उक्त आवेदन स्वीकार किया जाता है। उक्त आरोपी का अगर जमानती/गिरफ्तारी वारंट जारी हो तो उसे अदम बुलाने हेतु पत्र अविलंब जारी हो।

प्रकरण में कोई जप्ताशुदा सम्पत्ति नहीं है। परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

> वीरेन्द्र सिंह राजपूत पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क0—18 एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम गोहद, जिला भिण्ड